रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032024-252911 CG-DL-E-13032024-252911

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1190]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2024/फाल्गुन 21, 1945 NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2024/PHALGUNA 21, 1945

No. 1190]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2024

का.आ. 1252(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का,भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवाहितकर है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ (1) इस आदेश को वी-बेल्ट(गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।
- (2) यह आदेशशासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के बाद लागू होगा।
- 2.मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

1787 GI/2024 (1)

बशर्ते कि इसके अतिरिक्त **सूक्ष्म उद्यम** के संबंध में, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की अवधि समाप्त होने के बाद लागू होगा।

बशर्ते कि **लघु उद्यम** के संबंध में भी, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अविध समाप्त होने के बाद लागू होगा।

- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण –भारतीय मानकब्यूरो तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।
- **4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी**–इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्युरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
वी-बेल्ट	2494(भाग 1) : 1994	वी-बेल्ट– औद्योगिक प्रयोजनों के लिए एंडलेस वी-बेल्ट – सामान्य
		प्रयोजन
	2494(भाग 2) : 1993	वी-बेल्ट - औद्योगिक प्रयोजनों के लिए एंडलेस वी-बेल्ट – फायर
		रेसिस्टेंट एवं एंटीस्टैटिक वी-बेल्ट
	14261 : 1995	ट्रांसमिशन डिवासेस – वी बेल्ट औद्योजिक प्रयोजन के लिए
		एंडलेस नैरो वी-बेल्ट

[फा. सं. पी- 39012/8/2023– एलआर] संजीव, संयुक्त सचिव

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 6th March, 2024

- **S.O. 1252(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-
 - 1. Short title and commencement.- (1) This order may be called the V-Belt (Quality Control) Order, 2024.
- (2) It shall come into force on the expiry of six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette:
- 2. Compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export.

Provided further that in relation to **micro enterprises**, as defined in clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of twelve months from the date of publication of this notification.

Provided also that in relation to **small enterprises**, as defined in clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of nine months from the date of publication of this notification.

3. Certification and enforcement authority.- The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.

4. Penalty for Contravention. – Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or Articles	Indian Standards	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
V – Belts	2494 (Part 1):1994	V-Belts - Endless V-Belts for Industrial Purposes - General
		Purpose
	2494 (Part 2) :1993	V-Belts - Endless V-Belts for Industrial Purposes – fire
		resistant and antistatic V-Belts
	14261 :1995	Transmission Devices – V – Belts endless narrow V-Belts
		for industrial use

Note.- For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

[F. No. P-39012/8/2023-LR] SANJIV, Jt. Secy.